

वर्ष 2013-14 में मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता राशि वितरण के सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों का सारांश

क्र.सं.	राहत सहायता मद	चैक प्वाइन्ट
1	अहेतुक सहायता @8,000/- (SDRF)	1. प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर बह गये हो को कपड़े हेतु रू0 4,000.00 2. प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर बह गये हो को बर्तन हेतु रू0 4,000.00
2	यात्रियों को वितरित अहेतुक सहायता/किराया @2,000/- (CM Fund)	1. ऐसे प्रभावित यात्री जो विभिन्न स्थानों पर फंसे हुये थे।
3	अनुग्रह राशि- मृतक @ 3,00,000/- (SDRF)	1. प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर।
4	अनुग्रह राशि- मृतक @ 2,00,000/- (CM Fund)	1. प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर।
5	अनुग्रह राशि- घायल व्यक्ति (SDRF/CM Fund)	1. प्राकृतिक आपदा के कारण 80 प्रतिशत से अधिक अपंगता पर रू0 1,50,000.00 SDRF से तथा रू0 50,000.00 CM Fund से कुल रू0 2,00,000.00 2. प्राकृतिक आपदा के कारण 40 से 80 प्रतिशत तक अपंगता पर रू0 1,00,000.00 SDRF से तथा रू0 50,000.00 CM Fund से कुल रू0 1,50,000.00 3. जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से अधिक चिकित्सालय में रहना पड़े रू0 30,000.00 SDRF से 4. जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से कम चिकित्सालय में रहना पड़े रू0 15,000.00 SDRF से
6	अनुग्रह राशि- पशु हानि पर (SDRF)	1. दुधारू पशु भैंस, गाय, ऊंट, याक आदि की मृत्यु पर प्रति पशु रू0 20,000.00 SDRF से 2. गधा एवं खच्चर की मृत्यु पर प्रति पशु रू0 25,000.00 SDRF से 3. बछिया की मृत्यु पर प्रति पशु रू0 11,000.00 SDRF से 4. बकरी एवं भेड़ की मृत्यु पर प्रति पशु रू0 3,000.00 SDRF से 5. कुक्कड़ पालन प्रति पक्षी/मुर्गी की मृत्यु पर (अधिकतम रू0 400.00 प्रति परिवार) रू0 100.00 SDRF से
7	गृह अनुदान (SDRF/CM Fund)	1. पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का मकान प्रति परिवार रू0 1,00,000.00 गृह अनुदान SDRF से तथा रू0 1,00,000.00 CM Fund से कुल रू0 2,00,000.00 2. तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त पक्का मकान प्रति परिवार रू0 50,000.00 गृह अनुदान SDRF से तथा रू0 50,000.00 CM Fund से कुल रू0 1,00,000.00 3. आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का मकान रू0 1,900.00 गृह अनुदान SDRF से 4. क्षतिग्रस्त/नष्ट प्रति झोपड़ी रू0 6,000.00 SDRF से 5. भवन के साथ जुड़ी पशुशाला (प्रति पशुशाला) रू0 2,500.00 SDRF से 6. क्षतिग्रस्त भवनों में एक से अधिक परिवार निवासरत होने की स्थिति में धनराशि का आहरण मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जायेगा। 7. क्षतिग्रस्त मकान में एक से अधिक विधिक परिवारों के निवासरत होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। 8. उक्त श्रेणी के क्षतिग्रस्त आवासीय भवन का मूल्यांकन कुल राहत राशि से कम न हो। 9. राज्य की भूमि पर निजी भवनों के भवन स्वामियों को प्राकृतिक आपदा से भवनों के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने की दशा में रू0 1,00,000.00 (CM Fund)

		<p>3. अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने से पूर्व राज्य में आयी प्राकृतिक आपदा से मृत्यु/लापता व्यक्तियों की तैयार सूची से प्राप्त आवेदन पत्र का मिलान करने के पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।</p> <p>4. राज्य में आयी प्राकृतिक आपदा से लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में उसे मृत्यु कल्पित माने जाने के सम्बन्ध में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उक्त सहायता देय होगी।</p> <p>5. उक्त धनराशि मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि भुगतान हेतु कुल देय सहायता रू० 5,00,000.00 के अतिरिक्त इसी वित्तीय वर्ष में देय होगी।</p>
12	कृषि भूमि क्षति पर कृषि अनुदान का भुगतान (SDRF Fund)	<p>1. कृषि भूमि में अवसाद हटाने के लिए (प्रति हैक्टर) रू० 15,000.00 SDRF से</p> <p>2. भूस्खलन/हिमस्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण भूमि की क्षति (प्रति हैक्टर) रू० 2,500.00 (प्रति नाली पर्वतीय क्षेत्र) SDRF से</p> <p>3. फसलों को नुकसान (50 प्रतिशत से अधिक होने पर)</p> <p>(i) असिंचित भूमि के लिए रू० 5,000.00 प्रति हेक्टर SDRF से</p> <p>(ii) सिंचित भूमि के लिए रू० 8,000.00 प्रति हेक्टर SDRF से</p> <p>4. सदाबहार फसल का 50 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर रू० 15,000.00 प्रति हैक्टर SDRF से</p>